

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 87 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 फरवरी 2022—फाल्गुन 2, शक 1943

---

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2022

क्र. 2310-46-इक्कीस-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 फरवरी, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२२

**नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१**

[ दिनांक १७ फरवरी, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २१ फरवरी, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई। ]

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम,

२०२१ है।

धारा ११ का संशोधन.

२. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) की धारा ११ में, उपधारा (३) में प्रारंभिक पैरा तथा प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारंभिक पैरा तथा प्रथम परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकेगा और पांच वर्ष की और कालावधि हेतु या वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक के लिए कुलपति का पद धारण नहीं करेगा।"

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2022

क्र. 2310-46-इकीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक ६ सन् २०२२) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT  
No. 6 OF 2022

NANAJI DESHMUKH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 17<sup>th</sup> February, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 21<sup>st</sup> February, 2022.]

An Act Further to amend Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. This Act may be called Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021.  | <b>Short title</b>              |
| 2. In Section 11 of Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009), in sub-section (3), for the opening paragraph and the first proviso, the following opening paragraph and first proviso shall be substituted, namely :— | <b>Amendment of Section 11.</b> |

"The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years and shall be eligible for reappointment for a further period of five years or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier :

Provided that no person shall hold the office of the Vice-Chancellor for more than ten years in the aggregate.".